न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 50/2025 एल.आर.एक्ट GCMS No. 2025/54

1. राणी पुत्री हजारा सिंह पत्नि करनेल सिंह जाति जट सिंख साकिन चक 13 डी.ओ.एल तहसील घड़साना जिला श्री गंगानगर।

—— अपीलान्ट

बनाम

1. रतनजीत कौर पुत्री हजारा सिंह पत्नि शेर जाति जट सिख साकिन चक 7 डी.ओ.एल तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर।
2. मीतो उर्फ हरपाल कौर पुत्री हजारा सिंह पत्नि बलदेव सिह जाति जट सिख साकिन अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब।(आदेश दिनांक 12.06.2024 द्वारा हटाया गया)
3. जगतार सिंह पुत्र हजारासिंह जाति जट सिंख साकिन चक 7 डी.ओ.एल तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर। (आदेश दिनांक 12.06.2024 द्वारा हटाया गया)
4. हरपाल सिंह पुत्र भजनकौर मृतक पुत्री हजारा सिह जाति जट सिख साकिन चक 6 ए तहसील श्री गंगानगर।(आदेश दिनांक 12.06.2024 द्वारा हटाया गया)
5. काका सिंह पुत्र ज्योति पुत्र भजनकौर मृतक पुत्री हजारा सिह जाति जट सिख साकिन चक 6 ए तहसील श्री गंगानगर।(आदेश दिनांक 12.06. 2024 द्वारा हटाया गया)
6. गोगी पुत्री ज्योति पुत्र भजनकौर मृतक पुत्री हजारा सिह जाति जट सिख साकिन चक 6 ए तहसील श्री गंगानगर।(आदेश दिनांक 12.06.2024 द्वारा हटाया गया)
7. परमजीत कौर पुत्री हजारा सिंह पत्नि सरदूल सिंह जाति जट सिख साकिन चक 10 बी.डी तहसील खाजूवाला।
8. गुरजिन्द्र सिंह पुत्र वीर सिंह पुत्र छिन्द्रपाल कौर पत्नि जीत सिंह पुत्री हजारा सिह जाति जट सिख साकिन लोहगढ़ तहसील डब्बवाली हरियाणा। (आदेश दिनांक 12.06.2024 द्वारा हटाया गया)
9. तेजेन्द्र सिह पुत्र वीर सिंह पुत्र छिन्द्रपाल कौर पत्नि जीत सिंह पुत्री हजारा सिंह जाति सिख साकिन लोहगढ़ तहसील डब्बवाली हरियाणा। (आदेश दिनांक 12.06.2024 द्वारा हटाया गया)
10. राणी पुत्री वीर सिंह पुत्र छिन्द्रपाल कौर मृतक पत्नि जीत सिंह पुत्री हजारा सिह जाति जट सिख साकिन लोहगढ़ तहसील डब्बवाली हरियाणा।(आदेश दिनांक 12.06.2024 द्वारा हटाया गया)
11. भोली राणी पुत्री वीर सिंह पुत्र छिन्द्रपाल कौर मृतक पत्नि जीत सिंह पुत्री हजारा सिह जाति जट सिख साकिन लोहगढ़ तहसील डब्बवाली हरियाणा। (आदेश दिनांक 12.06.2024 द्वारा हटाया गया)
12. पलविन्द्र कौर पुत्री छिन्द्रपाल कौर मृतक पत्नि जीत सिंह पुत्री हजारा सिंह जाति जट सिख साकिन देशुमलकाना तहसील सिरसा हरियाणा।(आदेश दिनांक 12.06.2024 द्वारा हटाया गया)
13. कुलदीप सिंह पुत्र जगरूप सिंह माता हरपाल कौर मृतक पुत्री हजारा सिंह जाति जट सिख साकिन देशुमलकाना तहसील सिरसा हरियाणा।(आदेश दिनांक 12.06.2024 द्वारा हटाया गया)
14. तेजा सिंह पुत्र जगरूप सिंह माता हरपाल कौर मृतक पुत्री हजारा सिंह

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

जाति जट सिख साकिन देशुमलकाना तहसील सिरसा हरियाणा।(आदेश दिनांक 12.06.2024 द्वारा हटाया गया)

15. मखन सिंह पुत्र जगरूप सिंह माता हरपाल कौर मृतक पुत्री हजारा सिंह जाति जट सिख साकिन देशुमलकाना तहसील सिरसा हरियाणा।(आदेश दिनांक 12.06.2024 द्वारा हटाया गया)
16. सोमा पुत्री पुत्र जगरूप सिंह माता हरपाल कौर मृतक पुत्री हजारा सिंह जाति जट सिख साकिन देशुमलकाना तहसील सिरसा हरियाणा।(आदेश दिनांक 12.06.2024 द्वारा हटाया गया)
17. राजस्थान सरकार।
18. अनिल कुमार बिश्नोई पुत्र कृष्ण कुमार जाति बिश्नोई निवासी मुकलावा तहसील रायसिंहनगर।
19. सुनिल कुमार पुत्र कृष्ण कुमार जाति बिश्नोई निवासी मुकलावा तहसील रायसिंहनगर।

– रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री विजय कुमार पारीक – अभिभाषक अपीलांट
श्री हरिराम बिश्नोई – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नं. 1, 18 एवं 19

निर्णय

दिनांकः 25.08.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय न्यायालय उपतहसीलदार (भू.अ) 365 हैड तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 27.10.2021(28.10.2021) के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील मीमो के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि चक 7 डी.ओ.एल के पत्थर नंबर 74/19 में किला नंबर 4 ता 8, किला नंबर 11 ता 17 कुल 12 बीघा भूमि की खातेदारी अपीलांट के पिता हजारा सिंह के नाम दर्ज थी। हजारा सिंह का देहान्त दिनांक 22.11.1991 को हो गया। हजारा सिंह के देहान्त के पश्चात इन्तकाल संख्या 40 विरासतन दर्ज कर दिया गया था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रतनजीत कौर पत्नी शैरसिंह पुत्री हजारा सिह ने अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार 365 के समक्ष वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार 365 ने उक्त प्रार्थना–पत्र का निर्णय करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने का अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार 365 के आदेश दिनांक 27.10.2021 सें व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2– वादग्रस्त भूमि चक 7 डी.ओ.एल के पत्थर नंबर 74/19 में किला नंबर 4 ता 8, किला नंबर 11 ता 17 कुल 12 बीघा भूमि की खातेदारी अपीलांट के पिता हजारा सिंह के नाम दर्ज थी। हजारा सिंह का देहान्त दिनांक 22.11.1991 को हो गया था। हजारा सिंह के देहान्त के पश्चात मृतक के जायज वारिसान के नाम विरासतन इंतकाल संख्या 40 दिनांक 03.04.1999 को दर्ज हो चुका था। उक्त इंतकाल को किसी भी अदालत ने खारिज नहीं किया हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रतनजीत कौर पत्नी शैरसिंह पुत्री हजारा सिह ने अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार 365 के समक्ष तथाकथित वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। उक्त तथाकथित वसीयत हजारा सिंह द्वारा

दिनांक 20.06.1989 की हुई बताई गई है। हजारा सिंह के देहान्त के 30 वर्ष पश्चात वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। वास्तव में वसीयत हुई ही नही थी अगर होती तो हजारा सिंह की मृत्यु के 30 वर्ष पश्चात पेश नही करते। उप तहसीलदार के समक्ष राणीकौर द्वारा व अन्य वारिसान द्वारा आपत्ति पेश की गई थी। इसी भूमि बाबत् वारिसान के बीच घोषणान्मक वाद उपखण्ड अधिकारी, घडसाना में 2019 से लगातार विचाराधीन है। उपतहसीलदार को राज्य सरकार के नोटिफिकेशन के तहत् विवादित इंतकाल बाबत् सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टिांत आर.आर.डी 2002 पेज 418 प्रस्तुत है। अगर किसी भूमि बाबत् सक्षम न्यायालय में घोषणात्मक वाद जैरकार हो तो इंतकाल की कार्यवाही स्थगित कर देनी चाहिए। इस संबंध में न्यायिक दृष्टिांत आर.आर.डी 1995 पेज 120 एवं आरआरडी 2003 पेंज नंबर 280 प्रस्तुत है। माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर का निर्णय है कि ऐसी वसीयत अवैध होती हैं जिसमें चार पुत्रियों में से एक के नाम से वसीयत हो तथा तीन पुत्रियों को वचित किया जावें। इस संबंध में न्यायिक दृष्टिांत आर.आर.डी 1995 पेज 27 प्रस्तुत है। उक्त प्रकरण उप तहसीलदार के स्तर पर विवादित था, क्योंकि सभी पक्ष उपस्थित थे, दावा जैरकार था, पूर्व में इंतकाल नंबर 40 दर्ज था। इस कारण आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील संभागीय आयुक्त को ही होती हैं। इस संबंध में न्यायिक दृष्टिांत आर.आर.डी 2002 पेज 671, आरआरडी 1993 पेज नंबर 29, आरआरडी 2008 पेज नंबर 276 एवं आरआरडी 1989 पेज नंबर 340 व 266 प्रस्तुत है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में अपील अपीलांट गैर हाजरी था, पूर्व में प्रकरण में अपीलांट उपस्थित थी तथा प्रकरण बंद हो गया तथा बाद में में उप तहसीलदार द्वारा प्रकरण पुनः शुरू किया जिसमें सभी पक्षकारों को नोटिस जारी करने के आदेश के बावजूद नोटिस जारी नही किय गए। प्रार्थीनी को अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल हेतु आवेदन किया, नकल प्राप्त करने शीघ्र बिना देरी किये अन्दर मियाद अपील पेश की। अपीलाधीन आदेश शून्य एवं क्षेत्राधिकार विहिन आदेश होने के कारण ऐसे आदेशों पर मियाद लागू नही होती हैं। इस संबंध में न्यायिक दृष्टिांत आर.आर.डी 1999 पेज 502, आरआरडी 1991 पेज नंबर 8, आरआरडी 1965 पेज 119 एवं आरआरडी 19963 पेज नंबर 57 प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार 365 मंडी का आदेश दिनांक 27.10.2021 निरस्त किया जावें।

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अपील अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता हजारा सिह की वसीयत दिनांक 20.06.1989 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में करने पर उपतहसीलदार 365 मंडी द्वारा दिनांक 27.10.2021 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में इंतकाल दर्ज करने का आदेश पारित किया गया हैं। उक्त प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 का प्रकरण है। जिसकी प्रथम अपील जिला कलक्टर के समक्ष धारा 75 के अंतर्गत प्रस्तुत होती है परन्तु अपीलांट ने उक्त अपील सीधे ही भू–अभिलेख निदेशक (संभागीय आयुक्त) के समक्ष प्रस्तुत की है। जो नियमानुसार नही होने के कारण खारिज योग्य है। इस बाबत् न्यायिक दृष्टांत आर.बी.जे 2020 पेज नंबर 194–195 प्रस्तुत है। नामांतरण की कार्यवाही संक्षिप्त कार्यवाही(Ficial Prosesing) है जिसमें पक्षकारों के अधिकारों का निरतारण नहीं किया जा सकता है। इस बाबत् न्यायिक

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

दृष्टांत आरवीजे 2021 पेज नंबर 532–533 प्रस्तुत है। नामांतरण की कार्यवाही में वसीयत की वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती हैं। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना में वाद के विचाराधीन होना स्वीकार किया हैं तो पक्षकारों के अधिकारों का निर्णय वाद में होना हैं नामान्तरण की अपील में नही। नामांतरकरण की कार्यवाही को इस आधार पर स्थगित नही रखा जा सकता है। कि पक्षकारों में मध्य वाद चल रहा हैं। इस बावत् न्यायिक दृष्टांत आर.वी.डी 2008 पेज नंबर 383 प्रस्तुत है। वसीयत सादे कागज पर दो गवाहों के समक्ष लिखी जा सकती है। वसीयत का पंजीयन आवश्यक नहीं है। इस बावत् न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी 1984 पेज नंबर 391 एवं आर.आर.डी 2002 पेज नंबर 280 प्रस्तुत है।जब नया नामांतरकरण दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाते है तो पूर्व में दर्ज नामान्तरकरण स्वतः निरस्त हो जाता है। अभिभाषक अपीलांट ने उपतहसीलदार द्वारा आदेश पारित करने के क्षेत्राधिकार नही होने के बारे कहां है जहां तक क्षेत्राधिकार की बात हैं तहसील का कार्य–विभाजन के आधार पर उक्त क्षेत्र उपतहसील के अन्तर्गत आने के कारण समस्त अधिकार जो तहसीलदार को होते है वही अधिकार उपतहसीलदार को भी होते है। अतः अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार 365 मंडी का आदेश दिनांक 27.10.2021 उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

4– हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, न्यायिक दृष्टांतों तथा अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना धारा–5 मियाद अधिनियम एवं न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं न्यायिक दृष्टांत को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट को मियाद में शुमार किया जाता है। उप तहसीलदार 365 मंडी का आदेश दिनांक 27.10.2021 वसीयत के आधार पर पारित किया गया हैं। अपीलांट द्वारा विवादित वसीयत को किसी भी सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवाया गया और न ही किसी सक्षम न्यायालय में चैलेंज किया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किये गये है। ऐसी स्थिति में जब तक अपीलाधीन वसीयत को किसी सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवाया जाता है, तब तक उक्त वसीयत के आधार पर पारित इंतकाल दर्ज करने के आदेश को निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार 365 मंडी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.10.2021 यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

5– तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 25.08.2025 का लिखिवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर